कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 5( )2013 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / वाहन चालक–सर्वेयर /13068/–13083 दिनांक 3-9-2013

निमित्तः– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जयपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / अजमेर / भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर / वन्य जीव भरतपुर / वन्य जीव
जोधपुर / वन्य जीव कोटा / वन्य जीव जयपुर / मुख्य वन संरक्षक सूचना एवं प्रोद्योगिकी,
जयपुर ।

विषय :–<u>वाहन चालक तथा सर्वेयर की सीधी भर्ती हेतु मार्गदर्शिका</u>

महोदय,

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों पर संबंधित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती से उनके कार्यालय में नियुक्ति की प्रकिया सम्पादित की जायेगी। विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है। उक्त दिशा–निर्देश में वाहन चालक एवं सर्वेयर के प्रवर्गवार रिक्तियों का विवरण, आरक्षण, आवेदन शुल्क, भर्ति हेतु पात्रता, आयु एवं आवेदन प्रकिया, चयन प्रकिया तथा भर्ति कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है। विभिन्न नियुक्ति अधिकारी कार्यालयों मे रिक्त हुये पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑन–लाईन आवेदन–पत्र निर्धारित प्रकियानुसार दिनांक 20.09.2013 तक आमन्त्रित किये जायेंगे तथा लिखित परीक्षा दिनांक 06.10.2013 को आयोजित की जायेगी।

नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में भर्ती हेतु रिक्त स्थानों की संख्या, योग्यता एवं पात्रता, एवं पदों के आरक्षण संबंधी जानकारी तथा भर्ती प्रकिया इत्यादि का विस्तृत विवरण वन विभाग की बेवसाईड पर उपलब्ध है। किसी भी विवाद की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के निर्णय को ही अन्तिम माना जायेगा। संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखित परीक्षा, वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) एवं साक्षात्कार की कार्यवाही भी अपने मार्गदर्शन में करावेंगे।

वाहन चालक के स्वीकृत पदों के स्थानान्तरित / आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 15(1)2012 / कार्मिक–स्ट्रेंथ / प्रमुवसं / 12495–515 दिनांक 23.8.2013 द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है।

सर्वेयर के स्वीकृत पदों के स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 15(1)2012/कार्मिक–स्ट्रेंथ/प्रमुवसं/12474–93 दिनांक 23.8.2013 द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है।

वाहन चालक एवं सर्वेयर के पदों को सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक कमशः प.12(2)वन/2013/पार्ट दिनांक 26.7.2013 एवं 23.8.2013 से प्राप्त दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

विभाग में सर्वेयर व अमीन के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या प.7(11)वन/2012 दिनांक 16.8.2013 द्वारा विभाग में अमीन के केडर को Dying कर दिया गया है तथा अमीन के जितने भी पद रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होंगे उन पदों को सर्वेयर के पदों में सम्मलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है (प्रति संलग्न)। अतः तदानुसार अमीन के रिक्त पदों को सर्वेयर के पदों में (मर्ज) सम्मलित माना जावे।

1. आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग, महिलाओं /विधवा, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडियों के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नीति के अनुरुप तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी आदेशों के अन्तर्गत नियमानुसार आरक्षण देय होगा। अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय सदस्यों के लिए आरक्षण प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा जिसका विवरण दिशा–निर्देश में उल्लेखित है। आरक्षण से सम्बन्धित परिपत्र/आदेश वनरक्षक भर्ती 2013 के दौरान इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15(1)2012/कार्मिक–स्ट्रेंथ/प्रमुवसं/2747–2860 दिनांक 26.2.2013 तथा उत्कृष्ठ खिलाडियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.3.2013 इस कार्यालय के पत्रांक 4200–4230 दिनांक 22.3.2013 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेशों कार्मिक विभाग राजस्थान की बेवसाईड पर उपलब्ध हैं।

(1) महिलाओं के लिए:–

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7(2)डीओपी/ए–2/88/पार्ट–1 दिनांक 24.01.2011

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:–

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(18)डीओपी/ए–2/84/दिनांक 27.12.1988 तथा वाहन चालक के सीधी भर्ती से पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(1)डीओपी/ए–2/2008/दिनांक 10.10.2008 द्वारा 33.33 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज (horizontal) पद आरक्षित किये गये हैं।

(3) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए:–

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ–7(8) डीओपी/ए–2/2008 दिनांक 06.05.10 के तहत अन्य पिछडा वर्ग की मेरिट में नहीं आने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। विशेष पिछडा वर्ग के लिए एक प्रतिशत आरक्षण की गणना कार्मिक विभाग के आदेश कमांक प–7(8) कार्मिक/क–2/08 दिनांक 20.07.2012 के प्रावधानानुसार की गयी है।

(4) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:-

(i) राज्य सरकर की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13

(ii) कार्मिक विभाग के निर्देश कमांक प-13(20) क-2/91/पार्ट दिनांक 21.05.13

(5) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-5(31)कार्मिक/क-2/84/15.03.13

2. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया

(अ) लिखित परीक्षा

(i) वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों के अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक साथ एक ही दिनांक 6.10.2013 को एक ही समय 2.00 PM से 4.00 PM तक प्रत्येक नियुक्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा अलग अलग आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

सर्वेयर के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा Secondary or equivalent standard स्तर की 100 अंकों की होगी :-

		Duration	Marks
1.	Objective type paper consisting of questions from Mathematics (40 questions), General Knowledge & Everyday Science (40 questions), Hindi (20 questions)	2 hours	100

इसी प्रकार वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होने से वस्तुनिष्ठ परीक्षा VIII-pass स्तर की 100 अंकों की निम्नानुसार होगी :-

		Duration	Marks
1.	Objective type paper consisting of questions from Mathematics (40 questions), General Knowledge & Everyday Science (40 questions), Hindi (20 questions)	2 hours	100

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स 40 प्रतिशत होगा। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर एक अंक दिया जायेगा। वाहन चालक के साक्षात्कार, Knowledge of Roadside Repairs व Trade Test के लिए 20 अंक तथा सर्वेयर के साक्षात्कार के लिए 20 अंक का प्रावधान होगा।

3. परीक्षा सम्बन्धी निर्देश

(i) आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र तैयार कराने हेतु परीक्षकों का एक पैनल तैयार कर सभी से अलग-अलग प्रश्नों का सेट तैयार करवाया जावेगा जो प्रश्नों के साथ उनका उत्तर भी अंकित कर हस्ताक्षरित सेट मुख्य वन संरक्षक अपनी सेफ कस्टडी में रखेंगे। जिसमें से अन्तिम 100 प्रश्न संबंधित मुख्य वन संरक्षक स्वयं लिखित परीक्षा हेतु अलग अलग चयनित कर 100 फाइनल प्रश्नों को निर्धारित करेंगे जिसकी प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं OMR Sheet का मुद्रण मुख्य वन संरक्षक किसी विश्वसनीय गोपनीय व्यवस्था

से कराएंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रश्नों को स्क्रैम्बल कर एक से अधिक सेट रखे जा सकते हैं ताकि आस पास बैठे परीक्षार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न कम वाली पुस्तिकायें दी जाकर आपस में नकल की संभावना को समाप्त किया जा सके।

(ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र पुस्तिका सील होगी और समस्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के 50–50 के (जितनें परीक्षार्थी एक कक्ष मे बैठेंगे उतने प्रश्न पुस्तिकाओं के) बंडल तैयार कर उनको सुरक्षित सीलबंद रखा जावेगा। केंद्र विशेष पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरुप प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के बंडल आवश्यकतानुसार परीक्षा की दिनांक को ही संबंधित परीक्षा केन्द्र पर 3 अधिकारियों/कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा पहुँचा कर वितरण हेतु परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनिट पूर्व ही खोले जावेंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक वैकल्पिक उत्तर होंगे जो OMR Sheet के साथ एक लिफाफे में सीलबंद होगी जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं खोली जावेगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी एवं तत्पश्चात प्रश्नों के उत्तर अंकित OMR Sheet संकलित कर सुरक्षित स्टोर की जावेगी जब कि अपनी उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे।

(iii) OMR Sheet पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र उसे आवंटित रोल निर्धारित विधि से काली स्याही के डाट पेन से ब्लाक्स को भरा जाकर अंकित किया जावेगा। रोल नंबर में कांट छांट नहीं की जावेगी। वह अपना नाम OMR Sheet पर किसी भी दशा में अंकित नहीं करेगा। अपना नाम अंकित करने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी अयोग्य करार दे *दिया जावेगा और उसके चयन पर आगे कोई विचार नहीं किया जावेगा। परीक्षा* के दौरान इनविजिलेटर आवश्यक रुप से OMR Sheet पर अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये गये रोल नंबर का उसके प्रवेश पत्र से मिलान करेंगे और प्रमाण स्वरुप रोल नंबर के चारों तरफ गोला बनाते हुये पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने रोल नंबर की बजाय अन्य किसी रोल नंबर को अंकित किया गया पाया जावेगा तो इनविजिलेटर ऐसे अभ्यर्थी की प्रश्न पुस्तिका पर उक्त तथ्य अंकित कर उसे जब्त कर परीक्षा केंद्र प्रभारी को सूचित कर देगे। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर उसे दी गई OMR Sheet पर बताई गई विधि से मार्क करेंगे।

(iv) एक नियुक्ति अधिकारी से संबंधित प्रश्नोत्तरों की OMR Sheet की जंचाई निर्धारित मुद्रक द्वारा कम्प्यूटर से कराई जाकर रिजल्ट टेबुलेशन से पूर्व प्रश्नोत्तर की key से मुख्य वन संरक्षक द्वारा कास चेक करा ली जावेगी उसके पश्चात रिजल्ट मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा कर प्रकाशित कराया जावेगा। प्रश्नों के माडल उत्तर की key को मुख्य वन संरक्षक द्वारा सही अनुमोदित कर हस्ताक्षरित किया गया होगा और उसी को सही मानते हुए अभ्यर्थी के उत्तरों के सही गलत होने का निर्धारण किया जावेगा।

(v) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट से संबंधित कार्यालय में विद्यमान वर्ग वार रिक्तियों की संख्या के 3 गुणा तक की संख्या में अभ्यर्थी वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test)/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जावेंगे,जिनकी रोलनंबर वार सूची प्रमुख समाचार पत्रों में व वन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं इसकी सूचना सम्बन्धित भर्ती कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी।

(vi) Admit Card : Admit Card परीक्षार्थी डाउनलोड करके प्राप्त करेगा। परीक्षार्थी अपनी फोटो Counterfoil पर चिपकाकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होगा एवं उक्त Counterfoil परीक्षा पर्यवेक्षक के पास जमा कराएगा। परीक्षा पर्यवेक्षक Counterfoil पर संबंधित पूर्तियों को पूर्ण कर परीक्षा केन्द्र पर सुपुर्द करेंगे।

(vii) Attendance Sheet : अभ्यर्थियों का विवरण परीक्षा केन्द्रवार प्रोफोमा में नियुक्ति अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जिसे नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर केन्द्रवार प्रिंट करवाया जाना होगा।

(viii) Roll Number Format : Roll Number 10 अंकों में होगा। प्रथम 2 अंक संभागीय कोड़, अगले 2 अंक कैटेगेरी तथा आखिरी 6 अंक रोल नम्बर के होंगे।

(ix) Centre Information Format : परीक्षा केन्द्रों का विवरण मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रोद्योगिकी, जयपुर को दिनांक 21.9.2013 तक ई–मेल arindam.tomar@gmail.com & ashokgis@yahoo.com & aramteke18@yahoo.com पर भिजवाया जावे। जिसके आधार पर एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा केन्द पर परीक्षा कक्षवार बैठने की व्यवस्था रोल नम्बर के अनुसार नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जावेगी।

(x) OMR Sheet पर दस अंकों के रोल नम्बर हेतु बॉक्स प्रिंट कराया जावे।

(xi) अभ्यर्थियों द्वारा OMR Sheet पर लिखे गए रोलनम्बर की जाँच परीक्षा पर्यवेक्षक द्वारा की जावेगी।

(xii) परीक्षा केन्द्रों में वितरण से शेष रही प्रश्न पत्रिकाएं परीक्षा पर्यवेक्षक द्वारा सुरक्षित रख ली जावें। परीक्षा पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें की कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त बिना OMR Sheet जमा कराए परीक्षा कक्ष से बाहर नही जावे।

(xiii) प्रश्न पत्रिकाओं / OMR Sheets को परीक्षा केन्द्रों तक ले जाने व परीक्षा उपरान्त वापस लाते समय सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(xiv) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या दृष्टिगत रखते हुए रोड़वेज़, रेल्वेज़, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को समुचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जावे।

<u>4. वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test)</u>: वाहन चालकों के लिये लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) निम्नानुसार गठित समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

1. सम्बन्धित सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक अथवा उसका प्रतिनिधि – संयोजक
2. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि – सदस्य
3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का प्रतिनिधि – सदस्य

कमेटी (Trade Test) में निम्न Test आवश्यक रुप से सम्पन्न करेगी :–

1. Dug/Ramp Test Reverse Driving (one chance).
2. "8" Shape Driving test - Those who qualify the dug/ ramp test will have to qualify this test (one chance).
3. Road test- Those who qualify above both 1&2 test will have to appear in the road test (one chance).
4. वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) के समय सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी करने की आवश्यक रुप से व्यवस्था की जावेगी।

5. साक्षात्कार :- अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा एवं वाहन चालक के लिये दक्षता परीक्षण के उपरान्त उपयुक्त दिनांक को यथासम्भव दक्षता परीक्षा के आगामी दिनांक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। सर्वेयर की लिखित परीक्षा के उपरान्त उपयुक्त दिनांक को जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा पृथक से लिखित में ई–मेल/SMS द्वारा सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सूचित किया जावेगा। सर्वेयर एवं वाहन चालक के साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार कमेटी रहेगी :–

1. सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक – संयोजक
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का प्रतिनिधि – सदस्य
3. वरिष्ठतम उप वन संरक्षक – सदस्य

साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अभिरूचि और व्यक्तित्व निर्धारण अन्तर्विष्ट होगा। अभ्यर्थियों से समस्त मूल प्रमाण पत्रों की प्रति साक्षात्कार के ठीक पूर्व प्राप्त की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न फोटो प्रतियों का उनकी अधिप्रामाणिकता के सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के साथ मिलान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को आवश्यक रूप से देखा जायेगा।

6. चयन सूची :– वाहन चालकों के लिये वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) के उपरान्त लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के वरीयता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

सर्वेयर के पद के लिये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के वरीयता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

7. स्वास्थ्य परीक्षण :– मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

8. प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन :– चयन सूची द्वारा लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच कराई जावेगी।

वाहन चालक तथा सर्वेयर की सीधी भर्ती कार्यवाही पूर्ण करने के निर्धारित तिथि की चेक लिस्ट संलग्न है। इसके अनुरूप उक्त प्रकिया सम्पादित कर सूचना समय–समय पर इस कार्यालय को ई–मेल एवं फैक्स द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उक्तानुसार

(वीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

चेक लिस्ट: वाहन चालक तथा सर्वेयर की सीधी भर्ती कार्यवाही वर्ष 2013

क्रमांक	कार्य विवरण	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि
1	लिखित परीक्षा हेतु केंद्रों का चयन कर मुख्य वन संरक्षक (IT) राजस्थान जयपुर को ई–मेल से भिजवाना।	21.09.2013 तक
2	प्रश्न पत्रों को अंतिम रुप देना एवं प्रश्न पुस्तिकाओं एवं ओ एम आर शीट की तैयारी एवं मुद्रण	30.09.2013 तक
3	केंद्रवार सुरक्षा एवं प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रुप देना	30.09.2013 तक
4	परीक्षा संचालन हेतु कंट्रोलरुम की व्यवस्था	03.10.2013 से 07.10.2013
5	लिखित परीक्षा का आयोजन (2पी.एम से 4.00 पी.एम तक)	06.10.2013
6	परीक्षा के पश्चात ओ एम आर शीट का संकलन एवं सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था	06.10.2013 को संकलन कर 07.10.2013 तक भंडारण
7	ओ एम आर शीट की जंचाई	10.10.2013 से 17.10.2013 तक
8	प्रश्नों का मॉडल उत्तर (Key) की प्रकाशन एवं आपत्तियां प्राप्त करना	10.10.2013 से 17.10.2013 तक
9	लिखित परीक्षा के रिजल्ट का प्रकाशन	21.10.2013 को
10	वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) एवं उसके परिणाम की नित्य घोषणा	23.10..2013 से 26.10.2013 तक
11	साक्षात्कार का शिड्यूल निर्धारण व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना	26.10.2013 तक
12	साक्षात्कार	28.10.2013 से 29.10.2013 तक
13	अंतिम चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन (क) नोटिस बोर्ड पर (ख) समाचार पत्र में	 30.10.2013 को 30.10.2013 को
14	सक्षम मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी निर्धारित शारीरिक मापदण्ड धारित करने बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	26.10.2013
15	पुलिस वेरीफिकेशन एवं मेडिकल के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी करना	संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा पृथक से

राजस्थान सरकार, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

वाहन चालक तथा सर्वेयर की सीधी भर्ती हेतु दिशा–निर्देश

क्रमांकः–एफ15(27)08/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/ 12595 दिनांकः 27/8/2013

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न पदों पर संबंधित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती से उनके कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय में नियुक्त किया जाना है :–

1. <u>वाहन चालक</u>

वित्तीय वर्ष 2013–14 में वाहन चालकों की नियुक्ति हेतु रिक्तियों का विवरण

क.सं.	नाम कार्यालय	वाहन चालकों के भरे जाने वाले पदों का प्रवर्गवार विवरण						
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	एस.बी.सी.	सामान्य	सहरिया	योग
1	मुख्य वन संरक्षक जयपुर	5	4	6	0	19	0	34
2	मुख्य वन संरक्षक अजमेर	3	2	0	0	9	0	14
3	मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	5	4	2	0	4	0	15
4	मुख्य वन संरक्षक कोटा	3	3	4	0	15	2	27
5	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	1	0	0	0	5	0	6
6	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर	2	3	3	0	6	0	14
7	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर (नॉन टी.एस.पी.)	2	1	3	0	10	0	16
	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर (टी.एस.पी)	1	8	0	0	9	0	18
8	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	0	0	2	0	5	0	7
9	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	1	1	1	0	4	0	7
10	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर (नॉन टी.एस.पी.)	2	1	1	0	4	0	8
	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर (टी.एस.पी.)	1	1	0	0	3	0	5
11	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	1	1	2	0	8	0	12
12	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर	1	1	1	1	7	0	11
	योग	28	30	24	1	108	2	194

2. सर्वेयर

वित्तीय वर्ष 2013–14 में सर्वेयर की नियुक्ति हेतु रिक्तियों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्यालय	सर्वेयर के भरे जाने वाले पदों का प्रवर्गवार विवरण						
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	एस.बी.सी.	सामान्य	सहरिया	योग
1	मुख्य वन संरक्षक जयपुर	2	2	4	0	9	0	17
2	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर (नॉन टी.एस.पी)	0	0	0	0	3	0	3
	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर (टी.एस.पी)	0	1	0	0	4	0	5
3	मुख्य वन संरक्षक कोटा	1	0	2	0	6	0	9
4	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर	0	0	0	0	2	0	2
5	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	0	0	0	0	2	0	2

6	मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	0	0	0	0	2	0	2
7	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा	0	0	0	0	3	0	3
8	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर	0	0	0	0	3	0	3
9	मुख्य वन संरक्षक अजमेर	0	0	0	0	3	0	3
	योग	3	3	6	0	37	0	49

नोट : उपरोक्त चालक/सर्वेयर के पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

1. वेतनमान:– वाहन चालक के पद का वेतनमान 5200–20200 (पी बी–1) ग्रेड पे 2400/– देय है। सर्वेयर के पद का वेतनमान 5200–20200 (पी बी–1) ग्रेड पे 2400/– देय है। सफल अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी जाकर प्रारम्भ के दो वर्षो में प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में एक मुश्त निर्धारित मासिक देय राशि रूपये 7900/– पर रखा जावेगा। दो वर्ष संतोषप्रद कार्य करने पर नियमित वेतन श्रृखंला में नियमानुसार वेतन देय होगा। चयनित /नियुक्त होने वाले वाहन चालक एवं सर्वेयर के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

2. आरक्षण

(क) महिलाओं के लिए:–

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7(2) डीओपी/ए–2/88/पार्ट–1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

किसी वर्ग–विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

किसी वर्ग सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी/सहरिया हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र ;अनु.जाति/अनु.जनजाति/ ओबीसी/ एसबीसी/सहरिया प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:–

वाहन चालक के कुल रिक्त पदों के 33.33 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज (horizontal) आरक्षित हैं। सर्वेयर के कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये क्षैतिज (horizontal) आरक्षित हैं। अभ्यर्थी जिस वर्ग

(सामान्य/अनु.जाति/अनु. जन जाति/ओबीसी/ एसबीसी/ सहरिया) का होगा उसी वर्ग के पदों से समायोजित किया जावेगा।

भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है। प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण— भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए:—

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ–7(8) डीओपी/ए–2/2008 दिनांक 06.05.10 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट में नहीं आने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए एक प्रतिशत आरक्षण की गणना कार्मिक विभाग के आदेश कमांक प–7(8) कार्मिक/क–2/08 दिनांक 20.07.2012 के प्रावधानानुसार की गयी है।

(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:—

(i) राज्य सरकर की अधिसूचना संख्या एफ—13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13 के प्रावधानानुसार जिला उदयपुर एवं सिरोही के उन क्षेत्रों जिन्हें ट्राईबल सब प्लानएरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशतएवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यार्थियों से भरे जायेगे।

(ii) कार्मिक विभाग के निर्देश कमांक प–13(20) क–2/91/पार्ट दिनांक 21.05.13 के अनुसार जिला बांरा की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत रिक्तियां जिले के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से भरी जायेगी शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति से 8 प्रतिशत, अन्य पिछडी जाति से 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग से 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

(ड़) उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों के लिए:—

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा और इसका समायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण— उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होनें:—

(1) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(2) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशःया टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(3) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(4) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मन्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आलइण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

<u>राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी</u>

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा/एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

3. आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः–

अभ्यर्थी का वर्ग	वन विभाग को देय परीक्षा शुल्क रू०	RISL को देय शुल्क मय	कुल देय शुल्क रू०
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
General / All creamy layer / All applicants not of Rajasthan	277.50	22.50	300.00
OBC of non-creamy layer/SBC (For Rajasthan Domicile)	177.50	22.50	200.00
SC/ST (For Rajasthan Domicile) Saharia of Baran	77.50	22.50	100.00

(क) ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराने के लिये उनको दिया जाने वाला शुल्क रू 10/–

(ख) ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन सम्बन्धी अन्य कार्य जैसे आवेदन भरना, प्रिंट लेना आदि के लिये पृथक से ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर उपलब्ध स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार शुल्क देना होगा।

अभ्यर्थी आवेदन करने एवं फीस जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वे इस भर्ती हेतु विवरणानुसार पूर्ण अर्हता रखते हैं। राजस्थान वन विभाग पात्रता न होने के कारण होने वाली किसी समस्या/असुविधा के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

4. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता :

(अ) वाहन चालक के लिये

अभ्यर्थी

1 भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिये।

2 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/बोर्ड से न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

3 हल्का एवम् भारी वाहन चलाने का स्थाई लाईसेन्स विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व का।

4 वाहन चालक के रुप में तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव।

5 वजन 65 किलोग्राम से अधिक न हो

6 आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित – 6 x 6

7 वाहन की रोड़ साईड़ रिपेयर का ज्ञान और वाहन चालन की दक्षता की जाँच ट्रेड टेस्ट द्वारा ली जावेगी।

(ब) सर्वेयर के लिये

अभ्यर्थी

1 भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिये।

2 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से Secondary उत्तीर्ण with ITI Certificate in Civil Survey or Diploma in Civil Engineering from a recognised institution.

5. नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–

(1) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नही होगी।

(3) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) मे दिया गया है।

(4) राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

(5) ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती:–परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसीएक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

(6) नैतिक अद्यमता (Moral Turpitude) के अपराध में दोष सिद्ध अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।

6. आयु:–

वाहन चालक तथा सर्वेयर के पद के लिये आयु, आवेदन करने की तिथि की आगामी 1 जनवरी (अर्थात 1 जनवरी 2014) को निम्न सारणी में इंगित सीमा के अंदर होनी चाहिए। महिलाओं, भूतपूर्व, सैनिको, आरक्षित वर्ग के अभ्याथियों सरकारी स्थायी कर्मियों के लिये नियमों में वर्णित आयु संबंधी छूट देय होगी, जिनकी जानकारी भी निम्न सारणी में इंगित है।

कैटेगरी	1.1.2014 को न्यूनतम आयु(वर्ष)	अधिकतम आयु मे देय छूट के बाद निर्धारित अधिकतम आयु (वर्ष)	तिथि जिसके पश्चात जन्म न हुआ हो	तिथि जिससे पूर्व जन्म न हुआ हो
राजस्थान डोमिसाइल के सामान्य वर्ग के/राजस्थान से भिन्न राज्य के डोमिसाइल वाले समस्त अभ्यर्थी				
पुरुष	18	38	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1976
महिला	18	43	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1971
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1955
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1964
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1974
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ एसबीसी/ सहरिया अभ्यर्थी				
पुरुष	18	43	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1971
महिला	18	48	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1966
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1955
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1964
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	1जनवरी 1996	2 जनवरी 1974

7. आवेदन प्रकियाः–

1. भर्ती हेतु आवेदन केवल Online Application Form में लिये जायेगे। यह आवेदन अभ्यार्थी द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरे जा सकेंगे। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कापी के रूप मे किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।
2. परीक्षा शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर केवल नगद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरुप परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अपना नाम, एव पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, लिंग एवं वेवाहिक स्थिति तथा नियुक्ति अधिकारी जिसके यहां आवेदन कर रहा है उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत कम्प्यूटर द्वारा निकाली गयी पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नंबर जारी किया जायेगा अभ्यार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसको रसीद भी माना जा सकता है। अभ्यर्थी इस टोकन नंबर को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पडेगी।

3. अभ्यार्थी www.examforest.rajasthan.gov.in पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है। इसी वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उपलब्ध होंगे। आनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय प्राप्त टोकन नंबर भरना होगा जिसके पश्चात ही आनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इस आनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय दी गयी जानकारी अंकित होगी और यह बदली नहीं जा सकेगी। अभ्यार्थी आनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5X 3.5 cm) की स्केन्ड कॉपी अपने हस्ताक्षर की स्केन्ड कॉपी तथा अपने दायें अँगुठे के निशान की स्केन्ड कापी अपलोड करेगा। यह सुविधा अतिरिक्त भुगतान पर ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर भी उपलब्ध होगी। पूरा आवेदन भी ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भराया जा सकेगा जिसके लिये स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार शुल्क देय होगा।

4. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि आनलाईन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र कमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि यह प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र कमांक (application ID) को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पड़ेगी।

8. <u>आनलाइन आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश</u> :–

- सर्वप्रथम वेबसाइट cxamforest.rajasthan.gov.in पर जाकर पूर्ण विज्ञप्ति पढ़े ले तथा यह सुनिश्चित कर ले कि आप के पास पद के लिये समस्त आवश्यक अर्हता है।
- इसी वेबसाईट पर उपलब्ध Step by Step Instructions तथा अन्य जानकारी भी भलीभांति पढ़ लें तथा आवेदन भरने के लिये आवश्यक सामग्री साथ लेकर आवेदन पत्र भरना आरंभ करें।
- आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप www.examforest.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें इसे आनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भरें तत्पश्चात आनलाईन आवेदन करें।
- ई–मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) पर जाकर वाहन चालक/सर्वेयर भर्ती के लिये निर्धारित शुल्क जमा करावे। शुल्क जमा कराते समय जो जानकारी (नाम, पिता का नाम, आयु,वर्ग, नियुक्ति अधिकारी जिसके यहां आवेदन करना है, आदि दी जायेगी वह ई–मित्र अथवा जन सुविधा केंद्र(CSC) के संचालक द्वारा कम्प्यूटर पर भरी जाकर एक 16 Digit अंकों को टोकन सं0 उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे आवेदक संभाल कर रखे। ध्यान रहे कि इस समय दी गई जानकारी सही हो क्योंकि यह आवेदन पत्र भरते समय बदली नही जा सकती है। आवेदक द्वारा स्वय के स्तर पर भी online भुगतान किया जाकर टोकन न0 प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये इसी वेबसाईट पर E-Mitra Portal लिंक दिया गया है।
- आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र अथवा जनसुविधा केद्र (CSC) संचालक के माध्यम से भरा जा सकता है जिसके लिये इन केंद्रो पर उपलब्ध रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।
- आवेदन भरने के लिये वेबसाईट examforest.rajasthan.gov.in पर जाकर Apply Online क्लिक करें। नये स्कीन पर टोकन संख्या तथा जन्मतिथि भरने पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये उपलब्ध होगा। टोकन प्राप्त करते समय दी गई जानकारी इस आवेदन पत्र में स्वत ही भरी जायेगी और अपरिवर्तनीय होगी। शेष जानकारी भरने तथा फोटो आदि अपलोड करने के पश्चात् आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है अथवा आवेदन के पास वांछित अर्हता नही है तो

स्कीन पर चेतावनी आयेगी। यदि आवेदन पत्र सही है तथा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है तो एक आवेदन आई.डी प्राप्त होगा जिसे आवेदक संभाल कर रखे। आवेदक भरे हुये आवेदन पत्र की प्रतिलिपी का प्रिंट अपने पास रखे।

- आनलाईन आवेदन पत्र में वांछित सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन रद्द किया जायेगा तथा आवेदक को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आनलाईन आवेदन पत्र में सुधार हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
- यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो निर्धारित दिनांक के पश्चात् आवेदक को प्रवेश पत्र आनलाईन उपलब्ध होगा जो इसी वेबसाइट पर Print Admit Card पर क्लिक करने पश्चात् टोकन संख्या, **application I.D.** तथा अन्य जानकारी भरने पर प्राप्त होगा। इस पर एक नवीन फोटो चिपकाकर तथा वैध फोटो I.D. लेकर आवेदक को परीक्षा के लिये उपस्थित होना होगा।

9. **लिखित परीक्षा प्रवेश पत्रः–** विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात आनलाईन ही जारी किये जायेंगे, ओर डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नही भेजा जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र कमांक एवं टोकन नंबर के आधार पर वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेगा। परीक्षा के समय आवेदक प्रवेश पत्र पर एक फोटो चिपकाकर अपने वैध पहचान पत्र (Passport, Photo PAN Card, Driving Licence, Aadhar Card, Photo Voter ID; Government / Defence Photo ID Card) के साथ परीक्षा में उपस्थित होगा।

10. **भर्ती हेतु चयन प्रकियाः–**

(अ) **लिखित परीक्षा :–** वाहन चालक एवं सर्वेयर के पदों के लिये लिखित परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक ही तिथि व समय पर एक साथ आयोजित की जावेगी। परीक्षा हिंदी माध्यम में (Objective) वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्नों पर आधारित होगी जिसके पूर्णांक 100 होंगे। लिखित परीक्षा के प्रश्नों में गणित, हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान आदि पर प्रश्न सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक वर्ग (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./सामान्य और सहरिया) के सफल अभ्यर्थियों को (उपलब्ध रिक्तियों का 3 गुणा तक) साक्षात्कार तथा Trade Test के लिए आमंत्रित किया जायेगा। Trade Test में सफल घोषित अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के पात्र होंगे तथा उन्हें ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

(ब) वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test): वाहन चालकों के लिये लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) गठित समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

कमेटी (Trade Test) में निम्न Test आवश्यक रुप से सम्पन्न करेगी :–

1. Dug/Ramp Test Reverse Driving (one chance).
2. "8" Shape Driving test - Those who qualify the dug/ ramp test will have to qualify this test (one chance).

3. Road test- Those who qualify above both 1&2 test will have to appear in the road test (one chance).

उपरोक्तानुसार वाहन चालक की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) में अर्हता अर्जित करनी होगी।

(स) चयन सूचीः— वाहन चालकों के लिये वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) के उपरान्त लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के वरीयता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
सर्वेयर के पद के लिये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के वरीयता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

(द) स्वास्थ्य परीक्षणः— मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

(य) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापनः— चयन सूची द्वारा लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच कराई जावेगी।

11. भर्ती कार्यक्रमः—

(1) आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि—30.08.2013 से 19.09.2013	(2) आनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि— 20.09.2013
(3) आनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अवधि —25.09.2013 से 05.10..2013	(4) लिखित परीक्षा की तिथि – 06.10.2013
(5) (Trade–Test)/साक्षात्कार तिथि– पृथक से सूचित की जायेगी।	(6) साक्षात्कार की तिथि— पृथक से सूचित की जायेगी।

12 आवश्यक प्रमाण—पत्र—

अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होगे—

i) समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

ii) आयु प्रमाण—पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नही है तो)

iii) अभ्यर्थी यदि अनुसचित्त जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बधित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण—पत्र।

iv) यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

v) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण—पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नही होने चाहिए।

vi) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

vii) स्वयं के दो (4.5x3.5 सेमी.) फोटो।

viii) विधवा के मामलें में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

ix) हल्के एवं भारी वाहन चलाने के लिए वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस की सत्यापित प्रति।

x) वाहन चालन के तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति। यदि राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों में पूर्व में संविदा पर वाहन चालन का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

xi) वजन 65 किलो से अधिक न हो एवं आंखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित 6X6 के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र।

xii) संतान संबंधी प्रमाण पत्र।

xiii) असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट/आई.पी.सी. के अन्तर्गत किसी दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है का तथा किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है का शपथ पत्र।

13. महत्वपूर्ण निर्देश

i) वाहन चालक तथा सर्वेयर को चयन उपरांत राजस्थान के किसी भी डिवीजन में पदस्थापित किया जा सकेगा।

ii) आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु गलत सूचना पायी जाने पर नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुआ तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जाऐगी।

iii) निरस्त किए गये आवेदन–पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नही की जाएगी। यदि आवेदन पत्र आॅनलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्ही कारणों (जिसमें साफटवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।

iv) आवेदक को चयन प्रकिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नही होगा।

v) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नही लेने दिया जाएगा।

vi) अभ्यर्थी वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) में स्वय की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु हाने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) में भाग न लेने की सलाह दी जाती है। तथापि निर्धारित तिथियों को वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण (Trade Test) हेतु उपस्थित न होने पर दुबारा अवसर नहीं दिया जावेगा।

vii) छद्मवेश में कार्य करना अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुचित सामग्री लाने, उसका उपयोग करते हुए पाए जाने पर, उसे इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

viii) वाहन चालन तथा सर्वेयर के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों से इन्डेम्निटी बॉंड भरवाया जायेगा।

ix) वाहन चालक तथा सर्वेयर की भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति www.examforest.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(यू.एम.सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2012/कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/ दिनांक

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 16495 दिनांक 10.09.2012 द्वारा सर्वेयर/फील्डमैन तथा आदेश क्रमांक 16566 दिनांक 10.09.2012 द्वारा अमीन के पदों कार्यालयवार आवंटित पदों के आदेश में मय बजट मद के निम्नानुसार अग्रिम आदेशों तक स्थानान्तरित/आवंटित किए जाने के आदेश एतदद्वारा प्रचलित किए जाते है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त पदों को आई.एफ.एम.एस. में अपने स्तर से दर्शाया जावे ।

क्र. सं.	बजट मद	पद का नाम एवं पदों की संख्या	नाम कार्यालय जहां से पद स्थानान्तरित किया जा रहा है।	नाम कार्यालय जहां पद आवंटित किया जा रहा है।
1	2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 –वानिकी 001 –निदेशन तथा प्रशासन (02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग (00)(आयोजना भिन्न)	सर्वेयर–1	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		सर्वेयर–4	भू–संरक्षण अधिकारी सोजत जिला पाली	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		सर्वेयर–5	भू–संरक्षण अधिकारी सवाईमाधोपुर	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		सर्वेयर–3	वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी भीलवाड़ा	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		सर्वेयर/फील्डमैन–1	उप वन संरक्षक (परियोजना) बेंगू	मुख्य वन संरक्षक कोटा
2	2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 –वानिकी 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना (02)– वन संरक्षण (00)(आयोजना भिन्न)	सर्वेयर/फील्डमैन–3	उप वन संरक्षक (परियोजना) बांसवाड़ा	मुख्य वन संरक्षक कोटा

ह०/–
(यू.एम.सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2012/कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/12474-93 दिनांक 23/8/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर/कोटा/भरतपुर/वन्य जीव जयपुर/ बनास नदी परियोजना जयपुर/आर.वी.पी.कोटा।
5. वित्तीय सलाहकार वन विभाग राजस्थान जयपुर।
6. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक बाघ परि. सरिस्का (अलवर)/ भू–संरक्षण अधिकारी सोजत जिला पाली/ सवाईमाधोपुर/ वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी भीलवाड़ा/उप वन संरक्षक परियोजना बेगू/ उप वन संरक्षक परियोजना बांसवाड़ा।
7. लेखा शाखा बजट/कार्मिक/भर्ती प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षी पत्रावली।

(ए.बी.रामटेके)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

(20)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2012/कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/ दिनांक

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 16369 दिनांक 10.09.2012 द्वारा वाहन चालक के पदों कार्यालयवार आवंटित पदों के आदेश में मय बजट मद के निम्नानुसार अग्रिम आदेशों तक स्थानान्तरित/आवंटित किए जाने के आदेश एतदद्वारा प्रचलित किए जाते है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त पदों को आई.एफ.एम.एस. में अपने स्तर से दर्शाया जावे।

क्र. सं.	बजट मद	पदों की संख्या	नाम कार्यालय जहां से पद स्थानान्तरित किया जा रहा है।	नाम कार्यालय जहां पद आवंटित किया जा रहा है।
1	2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 –वानिकी 001 –निदेशन तथा प्रशासन (02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग (00)(आयोजना भिन्न)	1	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन जयपुर	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		1	उप वन संरक्षक प्रशिक्षण अलवर	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		1	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
2	2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 –वानिकी 101– वन संरक्षण विकास तथा समपोषण (12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना (00) (आयोजना भिन्न)	1	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
3	2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 –वानिकी 101– वन संरक्षण विकास तथा समपोषण (13) बांस समपुयोजना (00) (आयोजना भिन्न)	1	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
4	2402–मृदा तथा जल संरक्षण–00 102–मृदा संरक्षण, 02 वन विभाग के अभिकरण से (15) बनास नदी पर कार्य योजना (आयोजना भिन्न)	1	उप वन संरक्षक परियोजना टोंक	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
		1	वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी भीलवाड़ा	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
5	2402–मृदा तथा जल संरक्षण–00 102–मृदा संरक्षण, 02 वन विभाग के अभिकरण से (17) लूणी नदी पर कार्य योजना (आयोजना भिन्न)	1	भू–संरक्षण अधिकारी सोजत जिला पाली	मुख्य वन संरक्षक जयपुर
6	2402–मृदा तथा जल संरक्षण–00 102–मृदा संरक्षण, 02 वन विभाग के अभिकरण से (16 नदीघाटी पर कार्य योजना (आयोजना भिन्न)	1	उप वन संरक्षक परियोजना बेगू	मुख्य वन संरक्षक कोटा

ह०/-
(यू.एम.सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2012/कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/12495-515 दिनांक 23/8/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)राजस्थान जयपुर
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर/कोटा/वन वर्धन जयपुर/विभागीय कार्य जयपुर/अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर/बनास नदी परियोजना जयपुर/आर.वी.पी.कोटा।
5. वित्तीय सलाहकार वन विभाग राजस्थान जयपुर।
6. उप वन संरक्षक प्रशिक्षण अलवर/ विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़/विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर/ परियोजना टोंक/परियोजना बेगू।
7. वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी भीलवाड़ा/भू–संरक्षण अधिकारी सोजत जिला पाली।
8. लेखा शाखा बजट/कार्मिक–भर्ती प्रभाग कार्यालय हाजा।
9. रक्षी पत्रावली।

(ए.बी.रामटेके)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प0 12 (2)वन/2013/पार्ट जयपुर, दिनांक 26 JUL 2013

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय : बजट घोषणा के क्रम में वाहन चालकों के पदों पर नियुक्ति दिए जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में 144 वाहन चालक एवं पूर्व से रिक्त रहे 50 चालक कुल 194 वाहन चालकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। चूंकि विभाग द्वारा लम्बे समय उपरान्त चालकों की नियुक्ति की जा रहीं हैं तथा इस दौरान नियुक्ति अधिकारियों के पदनाम भी बदल चुके हैं। अतः अपनाए जाने वाली प्रकिया में स्पष्टता एवं एकरूपता रखने के लिए निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाकर ये रिक्तियां भरी जायें।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियमों में वनरक्षक, वनपाल एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी-I के पदो पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। ड्राईवर का पद वनपाल के पद के समकक्ष हैं तथा राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 विज्ञापित किये जाने के समय इन दोनो पदो का वेतनमान भी समान था । अतः चालको की भर्ती इन नियमो के शिड्यूल 3 में उल्लेखित वनपाल की सीधी भर्ती प्रावधानों के अनुसार ही की जाए।

(अ) नियम 22 में अधिकारियों के पदनाम दिए गए हैं जो वर्तमान में बदल चुके हैं एवं मुख्य वन संरक्षक का कार्य वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) द्वारा किया जा रहा है तथा वन संरक्षक के दायित्व संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्वहन किये जा रहें हैं। अतः निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

" राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 22 में वर्णित पदनामों के दायित्वों का निर्वहन उनके सम्मुख अंकित निम्न पदों द्वारा किया जावे –

1.	मुख्य वन संरक्षक –	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ)
2.	अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक–	अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
3.	वन संरक्षक–	संबंधित मुख्य वन संरक्षक "

(ब) वनपाल की सीधी भर्ती से संबंधित नियम 22(5) (i) में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रावधान हैं, जिसके लिए पाठ्यक्रम (Syllabus) शिड्यूल III में निर्धारित किया गया हैं । यह पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष स्तर का हैं, किंतु नियमो के शिड्यूल IV में चालक पद के लिए कक्षा VIII उत्तीर्ण तक की योग्यता निर्धारित की गई हैं । अतः इस पद की परीक्षा हेतु वर्णित विषयो की परीक्षा कक्षा VIII के स्तर तक ही ली जावें ।

(स) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा वाहन चालन की दक्षता का परीक्षण करने हेतु एक व्यावसायिक परीक्षण (Trade test) भी लिये जाने का प्रावधान हैं । राज्य में समस्त नियोक्ता प्राधिकारियो द्वारा अपनाये जाने वाली पद्धति में एकरूपता लाने के लिए निम्नानुसार एक समिति गठित की जाकर उक्त कार्यवाही सम्पन्न की जावें-

1.	संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक अथवा उसका प्रतिनिधि–	संयोजक
2.	जिला कलैक्टर का प्रतिनिधि–	सदस्य
3.	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का प्रतिनिधि–	सदस्य

कमेटी Trade test में निम्न test आवश्यक रूप से सम्पन्न करेगी ।

154

(a) Dug/Ramp Test – Reverse driving (one chance).

(b) "8" Shape Driving Test – Those who qualify the dug/ramp test will have to qualify this test (one chance).

(c) Road Test – Those who qualify above both (a) & (b) tests, will have to appear in the road test (one chance)

अतः उपरोक्त सभी निर्देशों की पालना करते हुये विभाग के रिक्त वाहन चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जावे।

भवदीय,

शासन उप सचिव

(23)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 7 (11)वन/2012 जयपुर, दिनांक - 8 AUG 2013

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषय :-विभाग में सर्वेयर व अमीन के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक एफ. 5(31)2012/कार्मिक /प्रमुवसं/ 8416 दिनांक 21.06.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग में सर्वेयर एवं अमीन के पदों को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.12.2010 के अनुसार भरने की कार्यवाही करें, साथ ही दिनांक 01.04.2010 से पूर्व के रिक्त पदों को नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करावें।

यह स्वीकृति कार्मिक विभाग की आई डी0 संख्या 816 दिनांक 31.07.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 7 (11)वन/2012 जयपुर, दिनांक 16 AUG 2013

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषय :-विभाग में सर्वेयर व अमीन के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक एफ. 5(31)2012/कार्मिक /प्रमुवसं/8416 दिनांक 21.06.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग में अमीन के Cadre को Dying कर दिया गया है तथा अमीन के जितने भी पद रिक्त है या भविष्य में रिक्त होगें उन पदों पर Surveyor के पदों में सम्मिलित किया जाना है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी0 संख्या 101303145 दिनांक 29.07.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव

(२५)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 12 (2) वन/2013/पार्ट/ दिनांक 2 3 AUG [redacted]

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF),
राजस्थान जयपुर।

विषय: सर्वेयर के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने बाबत।
संदर्भ: आपका पत्रांक एफ 5 (31)/2012/कार्मिक/प्रमुवसं/8416 दिनांक 21.06.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार सर्वेयर व अमीन के रिक्त पदों को भरने की अनुमति चाही गयी है।

क्र. सं.	पदनाम	पे बैण्ड एवं ग्रेड पे दिनांक 01.07. 2013 से पूर्व	पे बैण्ड एवं ग्रेड पे दिनांक 01.07. 2013 से	01.04.2010 से पूर्व रिक्त पद	01.04.2010 के पश्चात रिक्त	योग
1	सर्वेयर	5200–20200 (ग्रेड पे–1900)	5200–20200 (ग्रेड पे–2400)	21	15	36
2	अमीन	5200–20200 (ग्रेड पे–1900)	5200–20200 (ग्रेड पे–2400)	11	2	13

सर्वेयर/अमीन के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है चूंकि विभाग द्वारा लम्बे समय उपरांत सर्वेयर/अमीन की नियुक्ति की जा रही है तथा इस दौरान नियुक्ति अधिकारियों के पदनाम भी बदले चुके है। अतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में स्पष्टता एवं एकरूपता रखने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर यह रिक्तियां भरी जाये।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियमों में वनरक्षक, वनपाल एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रथम) के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। सर्वेयर/अमीन का पद वनपाल के पद के समकक्ष है तथा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के विज्ञापित किए जाने के समय इन दोनों पदों का वेतनमान भी समान होगा। अतः सर्वेयर/अमीन की भर्ती इन नियमों के शिड्यूल 3 में उल्लेखित वनपाल की सीधी भर्ती के प्रावधानों के अनुसार ही की जाए।

(अ) नियम 22 में अधिकारियों के पदनाम दिए गए है जो वर्तमान में बदल चुके है एवं मुख्य वन संरक्षक का कार्य वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर द्वारा किया जा रहा है तथा वन संरक्षक का दायित्व संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्वहन किए जा रहे है। अतः निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

"राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 22 में वर्णित पदनामों के दायित्वों का निर्वहन उनके सम्मुख अंकित निम्न पदों द्वारा किया जावे :–

1. मुख्य वन संरक्षक – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF),
2. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक – अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
3. वन संरक्षक – संबंधित मुख्य वन संरक्षक

(26)

(ब) वनपाल की सीधी भर्ती से संबंधित नियम 22 (5) (ए) में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए पाठ्यक्रम (Syllabus) शिड्यूल III में निर्धारित किया गया है के पाठ्यक्रम में उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष स्तर का है, किन्तु नियमों के शिड्यूल IV में सर्वेयर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी एवं निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :–

Secondary of a recognised Board with ITI Certificate in Civil Survey or Diploma in Civil Engineering from a recognised institution.

अतः सर्वेयर के पद की परीक्षा हेतु वर्णित विषयों की परीक्षा सैकण्डरी के स्तर तक ही ली जावे।

अतः उपरोक्त सभी निर्देशों की पालना करते हुए विभाग के सर्वेयर के पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.12.2010 के अनुसार भरने की कार्यवाही करे तदनुसार दिनांक 01.04.2010 से पूर्व के रिक्त पदों को भी नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार भरने की कार्यवाही करें।

भवदीया,

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक .12(2)वन/2013 पार्ट   जयपुर, दिनांक 2 3 AUG 201

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषय :— विभाग में वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों को सीधी—भर्ती से नियुक्ति देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सन्दर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के शिड्यूल IV के IV Motor Vehicle Wing में कमांक 3 पर वाहन चालक का पद स्वीकृत किया हुआ है। उक्त पद पर 90 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 10 प्रतिशत ट्रैक्टरगार्ड एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के शिड्यूल IV के I Soil Conservation Wing में क्रमांक 3 पर सर्वेयर का पद स्वीकृत किया हुआ है। उक्त पद को 100 प्रतिशत सीधी भर्ती भरे जाने का प्रावधान है।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के सेवा नियम संख्या 4—कम्पोजिशन एण्ड स्ट्रैन्थ ऑफ सर्विस शीर्षक के परन्तुक (बी) में शिड्यूल— IV में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :—

b) The various conditions, principles and procedures contained in these Rules except for substantive appointments thereto shall, as far as possible, apply mutatis mutandis to recruitment, appointment and in other matters of service conditions with such modification as may be specified in the IV schedule.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियमों में वनरक्षक, वनपाल एवं क्षेत्रीय—प्रथम के पदों को सीधी—भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। सर्वेयर एवं चालक का पद, वनपाल के पद के समकक्ष हैं तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत विज्ञापित किये जाने के समय इन तीनों पदों का वेतनमान भी समान था। वनपाल की सीधी—भर्ती से

संबंधित नियम 22(5)(i) में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है जिसके लिए पाठ्यक्रम शिड्यूल— III में निर्धारित किया गया है। यह पाठ्यक्रम उच्च—माध्यमिक अथवा समकक्ष स्तर का है, किन्तु नियमों के शिड्यूल— IV में सर्वेयर पद की शैक्षणिक योग्यता सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है तथा वाहन चालक पद की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास उत्तीर्ण है।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत वनपाल पद की सीधी—भर्ती से संबंधित नियम 22(5)(i) में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित

किए जाने का प्रावधान है जिसके लिए पाठ्यक्रम शिड्यूल- III में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

1- Mathematics (Hr. Secondary or equivalent standard) - 100 marks (duration 3 hrs.)

2. General Knowledge & Everyday Science - 100 marks (duration 3 hrs.)

3. Hindi - 50 marks (duration 2 hrs.)

अतः सर्वेयर की भर्ती के नियमों के शिड्यूल 3 में उल्लेखित परीक्षा की भावना के अनुसार उपरोक्त विषयों की पृथक--पृथक परीक्षा आयोजित न की जाकर एक ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा Secondary or equivalent standard स्तर की 100 अंकों की निम्नानुसार लिए जाने हेतु प्रस्तावित है :-

		Duration	Marks
1.	Objective type paper consisting of questions from Mathematics (40 questions), General Knowledge & Everyday Science (40 questions), Hindi (20 questions)	2 hours	100

इसी प्रकार वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होने से भर्ती के नियमों के शिड्यूल 3 में उल्लेखित परीक्षा हेतु उपरोक्त विषयों की पृथक-पृथक परीक्षा आयोजित न की जाकर एक ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा VIII-pass स्तर की 100 अंकों की निम्नानुसार लिए जाने हेतु प्रस्तावित है :-

		Duration	Marks
1.	Objective type paper consisting of questions from Mathematics (40 questions), General Knowledge & Everyday Science (40 questions), Hindi (20 questions)	2 hours	100

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 22(5)(ii) के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक तथा कुल 40 प्रतिशत अंक क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अतः एक ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने से क्वालिफाइंग मार्क्स 40 प्रतिशत होगा। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर एक अंक दिया जाना प्रस्तावित है। वाहन चालक के साक्षात्कार, Knowledge of Roadside Repairs व Trade Test के लिए 20 अंक तथा सर्वेयर के साक्षात्कार के लिए 20 अंक का प्रावधान होगा।

अतः उपरोक्त सभी निर्देशों की पालना करते हुए विभाग के वित्त वाहन चालकों/सर्वेयर की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जावें।

भवदीया,

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव